

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2018 जिला-शिवपुरी

अपील-6132/2018/शिवपुरी/भू.सं.

किशना पुत्र श्री पतुआ आदिवासी  
निवासी- ग्राम गुतोरा तहसील खनियाधाना  
जिला - शिवपुरी (म.प्र.)

.....अपीलार्थी

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला -  
शिवपुरी म.प्र.

.....प्रत्यर्थी

श्री-विश्वेश्वर शर्मा  
18.10.18 को  
18.10.18 दिनांक

18.10.18

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक  
32/2016-17/अ-21 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2018 के विरुद्ध  
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 44 के अधीन अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

18/10/18

- यहकि, अपीलार्थी किशना पुत्र पतुआ आदिवासी निवासी ग्राम गुतोरा की ओर से ग्राम गुतोरा तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी में स्थित भूमि सर्व क्रमांक 343/3, 405, 406, 407, 408 कुल कित्ता 5 कुल रकवा 1.92 हे0 में से हिस्सा 1/3 को विक्रय किये जाने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
- यहकि, अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र को न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 32/2016-17/अ-21 पर पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 31.07.2018 से इस आधार पर निरस्त कर दिया। कि विक्रय के बाद कोई भूमि शेष नहीं बचती। अतः भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान करना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के इसी आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह वर्तमान अपील माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है।

अपील के आधार :

- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा अपीलार्थी को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही जो आदेश पारित किया है,




न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-अपील 6132/2018/शिवपुरी/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमात्रों आदि के हस्ताक्षर
23.10.18	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। उनके द्वारा यह कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 32/2016-17/अ-21 में पारित आदेश दिनांक 31.7.18 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अनावेदक शासन के अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी द्वारा आपत्ति करते हुये कहा कि प्रथम अपील आयुक्त के न्यायालय में होगी।</p> <p>2-उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस कर दी जावे। आवेदक अधिवक्ता के अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।</p>	



  
सदस्य